तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 31/2025 जीसीएमएस : 2025/75 नरेन्द्रजीत कौर बनाम भूपेश कुमार आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
30.06.2025	बार संघ द्वारा आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुई। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा हस्तगत वाद पत्र प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादीया के नाम की खातेदारी भूमि चक 29 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 72 में दर्ज मु.नं. 71 प.नं. 176/416 के कि.नं. 19/2 की 0.023है. व कि.नं. 21/2 की 0.1218है. कुल 0.1448है. बाग भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध तरीके से वादीया को भूमि से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 पारित करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आ.7नि.11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीया द्वारा वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया गया है। कि.नं. 21 का रकबा 0.1312 प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया से खरीद किया हुआ है जो रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम से है। शेष वादाधीन रकबा कि.नं. 21 में 0.1218है. व कि.नं. 19/2 में 0.023है. वादीया के पति नामदार सिंह द्वारा अपने जीवन काल में तथा नामदार के देहान्त उपरान्त वादीया स्वयं के द्वारा अन्य खरीददारान को जरिए पंजीकृत बैयनामाजात विक्रय किया जा चुका है। [illegible] के हक व अधिकार पंजीकृत दस्ता[illegible] प्रश्नगत भूमि में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे। वादीया को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ना ही प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण प्राप्त है। वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।	

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 31/2025 जीसीएमएस : 2025/75 नरेन्द्रजीत कौर बनाम भूपेश कुमार आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं वादीया के वाद पत्र, प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों छायाप्रतियां बैयनामों तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीया के नाम से खातेदार दर्ज है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामाजात के अनुसार कि.नं. 21 की भूमि को वादीया एवं उसके पति के द्वारा भूमि को टुकड़ों में करते हुए भूखण्ड वार अन्य क्रेतागण को जरिए पंजीबद्ध बैयनामा के हस्तांतरित कर दी गई है। चूंकि वादीया के द्वारा अपनी खातेदार भूमि को जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज अन्य को हस्तांतरित कर दी है, ऐसे में विवादित भूमि में वादीया के हितों का न्यागमन पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर अन्य को हो चुका है। जिस कारण वादीया का विवादित भूमि में हक अधिकार शेष नहीं रहने के कारण वादीया को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण हासिल नहीं रहा है तथा वादीया वाद प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पत्र विचारण योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र वादीया खारिज किया जाना न्यायोचित्त है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादीया का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अभिलेख पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर